

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2020 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 21.01.2020  
G.C.M.S. NO.:2020/00032

मेन्टोर होम लोन्स इंडिया लिमिटेड (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड) मेन्टोर, हाउस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर-302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री भगवान लाल कीर पुत्र श्री उदय लाल कीर
- 2-श्रीमति संतोकी देवी पत्नी श्री भगवान लाल कीर
- 3-श्रीमति नन्दू देवी पत्नी श्री बंशी लाल कीर
- 4-श्री कालु राम कीर पुत्र श्री बंशी लाल कीर  
सभी निवासी प्लॉट नं. 264, गादरी मौहल्ला, ग्राम उपरेड़ा, तहसील राशमी, जिला  
चित्तौड़गढ़
- 5-श्री मनोहर लाल अहीर पुत्र श्री गोपी लाल वार्ड नं. 08, कीर मौहल्ला, ग्राम उपरेड़ा,  
तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002




उपस्थिति : 1- श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 29.12.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 3,50,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 20851 दिनांक 05.02.2007, ग्राम व ग्राम पंचायत उपरेड़ा, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1593 वर्ग फीट है।

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 02.08.2019 तक राशि रूपये 4,68,290/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली कर गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(के. के. शर्मा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़